दिनांक 22.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 22/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद औरैया/थाना बेला</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, अन्य कागजात**
- **01 बोलेरो वाहन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 21.11.2022 की रात्रि थाना बेला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त राजू उर्फ मुस्तफा टिर्रू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, अन्य कागजात, 01 बोलेरो वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 08.11.2022 को थाना बेला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेला पर मु0अ0सं0–245/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– राजू उर्फ मुस्तफा टिर्रू निवासी देवमई थाना बकेवर जनपद फतेहपुर हालपता–टिकनापुर रोड याकूबपुर थाना बेला जनपद औरैया।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने के आभूषण।

2–01 मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये।

4—अन्य कागजात।

5—01 बोलेरो वाहन।

6—01 मोटर साइकिल।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शक्तिमान को अन्य प्रांत से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद भदोही के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोपीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—259/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शक्तिमान निवासी नन्दापुर थाना ज्ञानपुर जनपद हरदोई।

जनपद गाजियाबाद/थाना बेव सिटी

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.11.2022 को थाना बेव सिटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डासना जाने वाले रास्ते के पास मोटर साइकिल सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान उर्फ साजिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बेव सिटी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— सलमान उर्फ साजिद निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद हालपता—चांदमारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर—11 विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना खानपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक: 22.11.2022 को थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिहारीगंज डगरा के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त युधिष्ठिर को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–179/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खानपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–युधिष्ठिर निवासी ग्राम सिंहपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना कासिमाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.11.2022 को थाना कासिमबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिदौत गॉव के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त निखिल उर्फ शेरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निखिल उर्फ शेरा निवासी ग्राम परसुपुर थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 22.11.2022 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जाफराबाद से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–रोबिन उर्फ बाबी 2–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोबिन उर्फ बाबी निवासी बिलाई सुगर मिल थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हालपता–मोहल्ला गोकुल बिहार कस्बा व थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड।

2–दीपक निवासी कौडिया कैम्प थाना कोटद्वारा जनपद पौडी गढवाल, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि।

➢ **<u>जनपद बस्ती थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आदित्य को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद जौनपुर/थाना केराकत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जौनपुर द्वारा थाना केराकत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 बी/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिनाथ को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।